

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जिल्ला

रायपुर

मुकाम

बनाम

रायपुर, लीक कर

कदमा

53.180

नं.

59 सन 19

सारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की लागू  
में जारी हुए

01/01/19

पक्ष द्वारा पेश की गई प्रतिलिपि  
प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जावे।  
नोटिस जारी करने के बाद प्रतिलिपि  
को पेश हुआ।

01/01/19

*[Signature]*

01/01/19

प्रतिवादी पेश हुई। प्रतिलिपि प्रतिलिपि  
प्रतिलिपि प्रतिलिपि प्रतिलिपि प्रतिलिपि  
प्रतिलिपि प्रतिलिपि प्रतिलिपि प्रतिलिपि  
प्रतिलिपि प्रतिलिपि प्रतिलिपि प्रतिलिपि

01/01/19

01/01/19

प्रतिवादी पेश हुई। प्रतिलिपि प्रतिलिपि  
प्रतिलिपि प्रतिलिपि प्रतिलिपि प्रतिलिपि  
प्रतिलिपि प्रतिलिपि प्रतिलिपि प्रतिलिपि  
प्रतिलिपि प्रतिलिपि प्रतिलिपि प्रतिलिपि

01/01/19

26/11/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।  
प्रतिवादी को नोटिस जारी शजिस्टर्ड  
रही जारी है।  
पत्रावली वास्ते इन्वजार तलबी  
हेतु दिनांक 19/1/20 को पेश है।  
न्यायालय प्रतिलिपि

19/01/2020

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान अनुपस्थित।  
न्यायालय समय में बार-2 आवजें लगाई  
गई इसके बावजूद कोई टाजिर नहीं हुए।  
न्यायालय समय समाप्त होने जा रहा  
है। पक्षकारान के टाजिर नहीं होने की  
वजह से वाद अदम टाजरी अदम पैसी में  
स्वारिज किया जाता है।  
P.T.O



हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहम  
हुकम  
में

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से  
काम की जाकर दायित्व दफ़तर हो।

11/11/19 10:10 AM, काठमांडू